कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमॉक/648/उ.सं.पं./आर.जी.एस.ए./2025 बिलासपुर, दिनॉक 09/04/2025

पंचायत संचालनालय अंतर्गत **Revamped** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक/पंचा./आरजीएसए/144B/2025/762 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 13.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत जिला स्तर पर संविदा भर्ती हेतु निर्धारित सेवा शर्ते, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासी से आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) दिनांक 15.04.2025 से दिनांक 24.04.2025 तक सायं 5:00 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग. के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता हैं।

1. जिले में संविदा रिक्त पदों का पदनाम, संख्या व संवर्गवार पद का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पद का नाम	जिला पंचायत का नाम	पद संख्या				
			अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1.	सहायक जिला समन्वयक (ADPM-RGSA)	बिलासपुर	01	00	00	00	01
कुल योग :–			01	00	00	00	01

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल पर तथा जिले की वेबसाईट **www.bilaspur.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन:–

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन रू. में	निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण	
1.	सहायक जिला समन्वयक (ADPM – RGSA)	31,750 एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण। 2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार– 70%	70
				शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंकों का अधिभार– 20%	20

3. नियुक्ति का तरीका:–

जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तदोपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

4. वेतन:–

उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

5. आरक्षण:–

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

6. आयु सीमा:–

न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।

7. नियुक्ति की अवधि:–

संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

8. अवकाश की पात्रता:–

संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।

9. यात्रा भत्ता:–

संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

10. अन्य शर्तें:–

1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
2. नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किस एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या आश्रिता को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

5. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किए जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालवधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर.(कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक हैं।

6. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।

7. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

8. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।

9. अपूर्ण/अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

10. आवेदक की आयु विज्ञापन तिथि को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन द्वारा जारी आदेशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।

11. आवेदक आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता संबंधी सभी प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित/राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन का प्रारूप जिला पंचायत बिलासपुर के सूचना पटल एवं जिला की वेबसाईट **www.bilaspur.gov.in** पर देखा जा सकता हैं।

12. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495001 के नाम से दिनांक 15.04.2025 से दिनांक 25.04.2025 तक सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य इेलक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ, स्वयं के पत्र व्यवहार पता लिखित व 27 रू. की डाक टिकट लगा हुआ, लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

14. नियुक्ति के संबंध में नियोक्ता प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। शासन के द्वारा समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देश/नियम लागू होंगे।

15. विज्ञापन जारी दिनांक तक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना चाहिए, बाद की योग्यता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

16. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

17. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता हैं।

18. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जावेंगे।

19. दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

20. संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशासनुसार नियमों में परिवर्तन मान्य हैं।

21. अनुभव की गणना विज्ञापन जारी दिनांक तक की जाएगी।

22. पदों में आवश्यकतानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर

पृ.क्रमांक/649/उ.सं.पं./आर.जी.एस.ए./2025
बिलासपुर, दिनॉक 09/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत संचालनलाय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. उप संचालक पंचायत जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर